PAPER-III
SOCIAL WORK

Signature and Name of Invigilator

1. (Signature) ____________________
   (Name) ____________________
2. (Signature) ____________________
   (Name) ____________________

Roll No. | | | | | | | | |

(In figures as per admission card)

Roll No.____________________

(In words)

D 1 0 1 0

Time : **2 $^1/_2$** hours] [Maximum Marks : **200**

Number of Pages in this Booklet : **32** Number of Questions in this Booklet : **19**

Instructions for the Candidates

1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. Answer to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

   No Additional Sheets are to be used.
3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
   (i) To have access to the Question Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
   (ii) **Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
4. Read instructions given inside carefully.
5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
6. If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
7. You have to return the test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
8. **Use only Blue/Black Ball point pen.**
9. **Use of any calculator or log table etc., is prohibited.**

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए ।
2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुए रिक्त स्थान पर ही लिखिये ।

   इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है ।
3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी । पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे, जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
   (i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी कागज की सील को फाड़ लें । खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें ।
   (ii) कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं । दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें । इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे । उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा ।
4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ।
5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है ।
6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे ।
7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें ।
8. केवल नीले/काले बाल प्वाईंट पेन का ही इस्तेमाल करें ।
9. किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है ।

SOCIAL WORK
समाज कार्य

PAPER-III
प्रश्नपत्र-III

Note : This paper is of **two hundred (200)** marks containing **four (4)** sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र **दो सौ (200)** अंकों का है एवं इसमें **चार (4)** खंड हैं । अभ्यर्थियों को इनमें समाहित प्रश्नों के उत्तर अलग से दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है ।

SECTION – I
खंड – I

Note : This section consists of **two** essay type questions of **twenty (20)** marks each, to be answered in about **five hundred (500)** words each. **(2 × 20 = 40 marks)**

नोट : इस खंड में **बीस–बीस** अंकों के **दो** निबन्धात्मक प्रश्न हैं । प्रत्येक का उत्तर लगभग **पाँच सौ** (500) शब्दों में अपेक्षित है । **(2 × 20 = 40 अंक)**

1. (A) 'Globalization has brought change in social work education and practice, in India. Discuss.

   (अ) भूमण्डलीकरण के कारण भारत वर्ष में समाज कार्य शिक्षा और अभ्यास में परिवर्तन आया है । विवेचना कीजिए ।

OR / अथवा

   (B) 'Right to Information Act' is an effective tool in the prevention of corrupt administrative practices in India. Critically examine.

   (ब) 'सूचना अधिकार अधिनियम' भारत वर्ष में भ्रष्ट प्रशासनिक अभ्यासों को रोकने में प्रभावी यन्त्र है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

2. (A) 'Right of children to free and compulsory education will bring major educational reform in Indian social context.' Comment.

(अ) 'नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार भारतीय सामाजिक सन्दर्भ में बृहद् शैक्षिक सुधार लाएगा ।' चर्चा कीजिए ।

OR / अथवा

(B) 'NGOs can prove to be vibrant instrument of sustainable development, provided they became more accountable and transparent.' – Substantiate.

(ब) 'गैर-सरकारी संस्थाएँ धारणीय विकास का स्पन्दनशील उपकरण सिद्ध हो सकती हैं बशर्ते कि वे ज्यादा जवाबदेय और पारदर्शी बन जाए' – इस कथन की पुष्टि कीजिए ।

SECTION – II
खंड – II

Note : This section contains **three (3)** questions from each of the electives/specializations. The candidate has to choose only one elective/specialization and answer all the three questions from it. Each question carries **fifteen (15)** marks and is to be answered in about **three hundred (300)** words. **(3 × 15 = 45 Marks)**

नोट : इस खण्ड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता से **तीन** (3) प्रश्न हैं । अभ्यर्थी को केवल **एक** ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता को चुनकर उसी के **तीनों** प्रश्नों का उत्तर देना है । प्रत्येक प्रश्न **पन्द्रह** (15) अंकों का है व उसका उत्तर लगभग **तीन सौ** (300) शब्दों में अपेक्षित है । **(3 × 15 = 45 अंक)**

Elective – I
विकल्प – I

3. Discuss the role of Human Resource Manager in organizational development.

   संगठनात्मक विकास में मानव संसाधन प्रबन्धक की भूमिका की विवेचना करें ।

4. What is 'Joint Management Council' ? Explain the role of JMCs in workers' participation in management.

   'संयुक्त प्रबन्ध परिषद' क्या है ? श्रमिकों की प्रबंधन में सहभागिता के सम्बन्ध में संयुक्त प्रबन्ध परिषद की भूमिका स्पष्ट करें ।

5. State the salient features of Employees' State Insurance Act.

   कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ बताइए ।

Elective – II
विकल्प – II

3. Highlight the major health concerns of the urban slum dwellers and suggest measures.

   शहरी मलिन बस्तियों के निवासियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी मुख्य परेशानियों का उल्लेख कीजिए तथा उपायों के विषय में सुझाव दीजिए ।

4. Formulate a culturally sensitive action plan for removing the barriers to treatment of mental disorders.

मानसिक व्याधियों के इलाज में रुकावटों को दूर करने के लिये सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील कार्य योजना की रूपरेखा तैयार कीजिए ।

5. Medical social work is moving from its traditional role to a mere varied role in response to the health needs and challenges of modern era. Illustrate your answer.

आधुनिक युग की चुनौतियों और स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों के जवाब में चिकित्सीय समाज कार्य अपनी पारम्परिक भूमिका से हट कर अधिक विविध भूमिका की ओर बढ़ रहा है । अपने उत्तर की उदाहरणों से पुष्टि कीजिए ।

Elective – III

विकल्प – III

3. Explain the concept of Community Development and discuss its goals. How far these goals are relevant in the global context ?

सामुदायिक विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें और उसके लक्ष्यों की विवेचना करें । वैश्विक सन्दर्भ में यह लक्ष्य कितने प्रासंगिक हैं ?

4. What are the problems being faced by tribals in India ? Prepare an action plan for the holistic development of tribals.

भारत में आदिवासियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिये कार्य योजना तैयार करें ।

5. What are the bottlenecks in delivering programmes and services for weaker sections in India ? How do you use social work knowledge in overcoming the bottlenecks ?

भारत में कमज़ोर वर्गों को कार्यक्रमों और सेवाओं को उपलब्ध कराने में क्या गतिरोध हैं ? इन गतिरोधों पर काबू पाने के लिये आप समाज कार्य के ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करेंगे ?

Elective – IV

विकल्प – IV

3. Comment on the recent verdict of Supreme Court on ‘Pre-marital Sex’ and ‘Co-habitation’ and its impact on the institution of family.

‘प्री-मैरिटल सेक्स’ और ‘को-हैबीटेशन’ के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के अधिमत एवं परिवार की संस्था पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करें ।

4. Describe the Government programmes and services for women and children. Suggest measures for their effective implementation.

महिलाओं और बच्चों के लिये सरकारी कार्यक्रमों एवं सेवाओं का वर्णन करें । उनके प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिये उपाय बताइए ।

5. "Youth in India are at cross road of tradition and modernity." Analyse the statement and develop social work intervention strategy to place them on the right track.

"भारत में युवा, परम्परा और आधुनिकता के दोराहे पर हैं ।" इस कथन का विश्लेषण कीजिए और उन्हें सही पथ पर लाने के लिये समाज कार्य हस्तक्षेप रणनीति को विकसित कीजिए ।

Elective – V

विकल्प – V

3. List the different theories of crime and highlight the significance of any one of them.

अपराध के भिन्न सिद्धान्तों को सूचीबद्ध करें और उनमें से किसी एक के महत्त्व पर प्रकाश डालिए ।

4. Discuss the adequacy of adult correctional programmes in India.

भारत में प्रौढ़ सुधारात्मक कार्यक्रमों की यथेष्टता की विवेचना कीजिए .

5. Delineate the role of professional social worker in Juvenile correctional institutions.

किशोर सुधार संस्थाओं में व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए ।

SECTION – III
खंड – III

Note : This section contains **nine (9)** questions of **ten (10)** marks, each to be answered in about **fifty (50)** words. **(9 × 10 = 90 Marks)**

नोट : इस खंड में **दस-दस** (10-10) अंकों के **नौ** (9) प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **पचास** (50) शब्दों में अपेक्षित है । **(9 × 10 = 90 अंक)**

6. Discuss the relevance of 'System Approach' to social work practice.
समाज कार्य अभ्यास के सन्दर्भ में व्यवस्था अभिगम की प्रासंगिकता की विवेचना करें ।

7. Describe the agents of social change.
सामाजिक परिवर्तन के एजेन्टों (अभिकर्ताओं) का वर्णन करें ।

8. Explain how the understanding of human motivation is important in social work practice.
स्पष्ट करें कि समाज कार्य अभ्यास में मानव अभिप्रेरणा की समझ किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है ।

9. Enumerate the merits and de-merits of narrative recording.
विवरणात्मक प्रलेखन के लाभ एवं हानियों पर चर्चा कीजिए ।

10. How the knowledge of group dynamics helps in devising appropriate social work intervention ?
उपयुक्त समाज कार्य हस्तक्षेप की रूपरेखा तैयार करने में समूह गतिकी का ज्ञान किस प्रकार सहायता करता है ?

11. Discuss the significance of networking in effective implementation of Community Development Programmes.
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन में 'नेटवर्किंग' के महत्त्व की विवेचना करें ।

12. Critically examine the role of social policy in addressing social issues in India.
भारत वर्ष में सामाजिक मुद्दों को सम्बोधित करने में सामाजिक नीति की भूमिका की समीक्षा करें ।

13. Outline the provisions of legislations pertaining to the people with disability.
अपंग या अक्षम लोगों से सम्बन्धित विधानों के प्रावधानों को संक्षेप में वर्णन करें ।

14. Define quality of life and explain its indicators.
जीवन की गुणवत्ता की व्याख्या करें और इसके सूचकों को स्पष्ट करें ।

SECTION – IV
खंड – IV

Note : This section contains **five (5)** questions of **five (5)** marks each based on the following passage. Each question should be answered in about **thirty (30)** words.

(5 × 5 = 25 Marks)

नोट : इस खंड में निम्नलिखित परिच्छेद पर आधारित **पाँच** (5) प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **तीस** (30) शब्दों में अपेक्षित है । प्रत्येक प्रश्न **पाँच** (5) अंकों का है ।

(5 × 5 = 25 अंक)

The age-old idea was that an individual committed a crime of his own violation. Punishment should, therefore, be retributive, deterrent and exemplary. However, with the passage of time, the concept has undergone a qualitative change as the emphasis has shifted to correction, reformation and rehabilitation of the offender as a useful member of society. Achievement of this objective presages closer cooperation between the law enforcing agencies and the public. In fact, it has to be

realised that the criminal is a product of the community and as such it is for the community to evolve a mechanism which will prevent generation of crime. Here lies the importance of public cooperation and it has been rightly emphasised in the implementation of preventive and correctional programmes in the country. These programmes are mainly organised with the framework of Prison Legislation, Juvenile Justice Act, Probation of Offenders Act, Immoral Traffic (Prevention) Act, Anti-Beggary Acts etc. and implemented by State Governments, and the Union Territories in their respective areas. All these acts provide for utilisation of voluntary services of people in community.

पुरातन विचार यह था कि अपराधी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपराध करता है और इसलिए, दंड प्रतिकारक, निवारक और आदर्शात्मक होना चाहिए । तथापि, समय के चलते, अवधारणाओं में गुणात्मक परिवर्तन आया, क्योंकि समाज के एक उपयोगी सदस्य के रूप में अपराधी की भूल सुधार, शोधन और पुनर्वास पर बल दिया जाने लगा है । इस उद्देश्य की उपलब्धि के लिये कानून लागू करने वाली एजेन्सियों और जनता के बीच ज्यादा घनिष्ठ सहयोग होना आवश्यक है । वास्तव में, यह समझ लेना चाहिये कि अपराधी समुदाय से ही उत्पन्न होता है और इस कारण यह समुदाय पर निर्भर करता है कि वो ऐसी क्रियाविधि विकसित करे जो कि अपराध के सृजन को रोके । यहाँ पर जनता के सहयोग के महत्त्व की बात आती है । देश के निरोधक और सुधारात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इस पर बल दिया जाना ठीक ही है । कारावास विधान, किशोर न्याय अधिनियम, किशोर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम अनैतिक व्यापार (निरोध) अधिनियम, भिक्षावृत्ति विरोधी अधिनियम इत्यादि की रूपरेखाओं के साथ, ये कार्यक्रम मुख्यत: किये जाते हैं और राज्य सरकारों एवं संघ राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जाते हैं । इन सब अधिनियमों ने, समुदाय में लोगों की स्वैच्छिक सेवाओं के उपयोग की व्यवस्था की है ।

15. What is the age-old idea about punishment in case of crime ?
अपराध के मामले में दंड के बारे में पुराना विचार क्या था ?

16. What is the shift in the idea of punishment with passage of time ?
समय के बीतने के साथ दंड के विचार में क्या परिवर्तन आया है ?

17. What is the role of community in the prevention of crime ?
अपराध को रोकने में समुदाय की भूमिका क्या है ?

18. Why public cooperation is necessary for implementation of correctional services ?
सुधारात्मक सेवाओं के क्रियान्वयन के लिये जन सहयोग क्यों आवश्यक है ?

19. In what manner public cooperation is sought in the context of crime ?
अपराध के सन्दर्भ में किस प्रकार जनता से सहयोग की चेष्टा की जाती है ?

Space For Rough Work

FOR OFFICE USE ONLY	
Marks Obtained	
Question Number	Marks Obtained
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Total Marks Obtained (in words) ....

(in figures) ....

Signature & Name of the Coordinator ....

(Evaluation) Date ....